



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266580  
CG-DL-E-01102025-266580

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4356]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 4356]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का. आ. 4480(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत ई-बसों के लिए पीएमपी में संशोधन।

1. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम, जिसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. 4259 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और ई-बसों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. 1078 (अ) दिनांक 3 मार्च, 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, के आंशिक संशोधन में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

2. ई-बसों के लिए पीएमपी घटक "ट्रैक्शन मोटर" के संबंध में अधिसूचना का.आ. 1078 (अ) दिनांक 03 मार्च, 2025 के अनुलग्नक-5 में क्रम संख्या 8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	पीएमपी संघटक	पीएमपी आवश्यकता
8	ट्रैक्शन मोटर	3 मार्च, 2026 से प्रभावी: ट्रैक्शन मोटर, जिसमें कम से कम मैग्नेट फिटमेंट, मोटर में रोटार असेंबली फिटमेंट, मोटर में स्टेटर असेंबली फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट शामिल हैं, का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।

[फा. सं. 14/18/2024 -AEI (30044)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2025

**S.O.4480(E).— Amendment to PMP for e-buses under the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme**

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259(E) dated 29<sup>th</sup> September 2024 and Phased Manufacturing Programme (PMP) for e-Buses notified by MHI vide S.O.1078 (E) dated 3<sup>rd</sup> March 2025, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette.

2. Sr. No. 8 in Annexure-5 of the notification S.O.1078 (E) dated 03<sup>rd</sup> March 2025, regarding PMP component “Traction Motor” for e-Buses is amended as given below:

Sr.No.	PMP Component	PMP Requirement
8	Traction Motor	With effect from 3 <sup>rd</sup> March 2026:  Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.

[F. No. 14/18/2024 -AEI (30044)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

**का. आ. 4481(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत ई-ट्रकों की एन2 श्रेणी के लिए पीएमपी में संशोधन**

1. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम, जिसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. 4259(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और ई-ट्रकों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. 3081(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2025

के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, के आंशिक संशोधन में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

2. एन2 श्रेणी के ई-ट्रकों के लिए पीएमपी के संबंध में अधिसूचना का.आ. 3081(अ) दिनांक 10 जुलाई, 2025 के अनुलग्नक-5 क में क्रम संख्या 8 और 9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	पीएमपी संघटक	एन2 श्रेणी
8	ट्रैक्शन मोटर	<p><b>1 मार्च, 2026 से प्रभावी:</b></p> <p>ट्रैक्शन मोटर जिसमें कम से कम मैग्नेट फिटमेंट, मोटर में रोटर असेंबली का फिटमेंट, मोटर में स्टेटर असेंबली का फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट शामिल हैं, का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p>
9	ट्रांसमिशन के साथ इंटीग्रेटेड ट्रैक्शन मोटर (जहाँ भी लागू हो)	<p><b>1 सितंबर 2025, से प्रभावी:</b></p> <p>इंटीग्रेटेड ट्रैक्शन मोटर एवं ट्रांसमिशन, ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर, ट्रांसमिशन कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की असेंबली घरेलू स्तर पर की जाएगी।</p> <p><b>इसके अतिरिक्त, 1 मार्च, 2026 से प्रभावी:</b></p> <p>(i) ट्रैक्शन मोटर और ट्रांसमिशन, जिसमें कम से कम मोटर में रोटर असेंबली का फिटमेंट, मोटर में स्टेटर असेंबली का फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बेयरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, ट्रांसमिशन फिटमेंट, ट्रांसमिशन कंट्रोलर फिटमेंट शामिल हैं, का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा और</p> <p>(ii) इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर, जिसमें कम से कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स/सेमीकंडक्टर्स/कनेक्टर्स की असेंबली, हाई वोल्टेज कनेक्टर फिटमेंट, केबल फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग शामिल है, का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।</p>

[फा. सं. 14/18/2024 -AEI (30044)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

**S.O.4481(E).— Amendment to PMP for N2 category of e-Trucks under the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme**

1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259(E) dated 29<sup>th</sup> September 2024 and Phased Manufacturing Programme (PMP) for e-Trucks notified by MHI vide S.O.3081 (E) dated 10<sup>th</sup> July 2025, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette.

2. S.No. 8 and 9 in Annexure-5A of the notification S.O.3081 (E) dated 10<sup>th</sup> July 2025, regarding PMP for N2 category of e-Trucks is amended as given below:

S.No.	PMP Component	N2 Category
8	Traction Motor	<p><b>With effect from 1<sup>st</sup> March 2026:</b></p> <p>Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.</p>
9	Traction Motor Integrated with Transmission (Wherever applicable)	<p><b>With effect from 1<sup>st</sup> September 2025:</b></p> <p>Assembly of integrated Traction motor &amp; transmission, Traction Motor controller, Transmission controller and Software flashing shall be domestically performed</p> <p><b>Additionally with effect from 1st March 2026:</b></p> <p>(i) Manufacturing of Traction Motor &amp; transmission which at least includes, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment, transmission fitment, transmission controller fitment shall be domestically performed and</p> <p>(ii) Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes assembly of electronic components/ semiconductors/ connectors on the PCB, high voltage connectors fitment, cables fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.</p>

[F. No. 14/18/2024 -AEI (30044)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.